Seventeenth Loksabha

>

Title: Request to make the contract Labour law strict to protect contract labour from exploitation and harners.

श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर): आज के मौजूदा दौर में सरकारी कार्यालयों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के कार्यालयों एवं संस्थानों में अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बहाली पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा की जाती है । इसमें उनसे न केवल नाजायज पैसा वसूला जाता है, बल्कि नौकरी के दौरान उनका शोषण भी होता है और प्रति माह निर्धारित मजदूरी में से भी पैसा वसूला जाता है । इसके साथ-साथ संदर्भ कार्यालय में भी सक्षम पदाधिकारी से मिल कर कम मजदूरों के साथ काम कराया जाता है और अधिक मजदूरों के नाम पर पैसा उठाया जाता है । इस प्रकार अनुबंध मजदूरों के लिए बनाए गए कानूनों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन उन ठेकेदारों के द्वारा किया जाता है ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इन अनुबंध मजदूरों पर हो रहे शोषण एवं दोहन के साथ-साथ, ठेकेदारों द्वारा बरती गई अनियमितताओं को रोकने के लिए इससे संबंधित कानून को और मजबूत बनाया जाए, ताकि इसकी संयुक्त निगरानी भी हो सके और उल्लंघन को नियंत्रित किया जा सके ।